

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल


श्रीमती फुडपा बनाम धनश्याम


न मुकदमा प्रापत्र नं० 45 सन 2018


हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तानील
मे जारी हुए

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 20.2.18 को पेश हो ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

20.2.18 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थना उपस्थित विपक्षीयण 1, 2, 5 व 8, एवं 10 से 17 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली विधेगमे । प्रतिवादी सं. 1 की छोर से अधिवक्ता श्री अरदकुमार पालीवाल ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली दिया गया । वास्ते प्रतिवादी सं 3, 4, 6 व 9 के सम्मन बैरंतजार एवं प्रतिवादी सं. 1 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 8.3.18 को पेश हो । 

8.3.18 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकेन उपस्थित । वास्ते प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 व 9 के सम्मन बैरंतजार एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 23.3.18 को पेश हो । 

27.3.18 पत्रावली पेश हुई । वकूलाय फरिकेन उपस्थित । विपक्षीयण अधिवक्ता द्वारा विपक्षीयण संख्या 1 को और से जवाब प्रस्तुत किया । जिल्ला जल प्रार्थना अधिवक्ता को दी गई । उच्च परत वरस करानी जारी । उच्च परसे को वरस सुनी गयी । वरस के दौरान लक्ष्य व लाया गया

कि 'पड़ोसी' उलय, दोसरा व पूर्व 'पानिचम' कोन ही जिल्ला अर्थात् मे 'जंही' है। अल, रपणरला के अभाव मे अकारिज योग्य है।

उमय परने की बहल 'सुर' व पजापली मे उपलब्ध दलानेजो का अ'पयन' कर, गनक किया गया। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्राथमिक पर अन्तर्गत चारा 111-128 मे नमूना इस व विपरीताने (पड़ोसी) की 'रपणरला' के अभाव मे 'पत्थरडाही' अकारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पजापली फंसल गुमार होकर नब्बव से कम है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपलब्ध अधिकारी
मंडल निवा श्रीलाल